<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः - 349 / 17</u> संस्थापन दिनांकः - 17 / 05 / 2000 फाईलिंग नं. 910 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही, जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियो</u>जन

वि रू द्व

ओमप्रकाश पिता चम्पालाल साहू उम्र 29 वर्ष, निवासी रेल्वे स्टेशन हरन्या थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 07.12.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 325, 323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.02.2000 को समय शाम 6 बजे ग्राम हरन्या थाना बोरदेही जिला बैतूल में प्रार्थी गोविंदराव को लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं रामकली को मारपीट कर स्वेच्छया सामान्य उपहित कारित की।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि दो अन्य अभियुक्त धनसू एवं राजकुमार का फरियादीगण से राजीनामा हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त धनसू एवं राजकुमार को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त ओमप्रकाश के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 07.02.2000 को कमल अतुलकर के घर खाना खाने जा रहा था। उसे अपने घर तरफ हल्ला सुनायी देने पर वह अपने घर तरफ लौटकर आया तो देखा कि चम्पालाल साहू के तीनों लड़के घर के पास खड़े होकर गाली गुप्तार कर रहे थे। उसने कहा कि वे गाली गुप्तार क्यों कर रहे हैं तो अभियुक्तगण ने उसे गाली गुप्तार की। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर तीनों ने लकड़ी से उसे मारपीट किया। मारपीट से उसे बांये हाथ की अंगुली, गदेली परचोट आयी। उसकी औरत बीच बचाव करने आयी तो उसे भी दांहिने हाथ में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना बोरदेही में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 43/2000 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के

दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी गोविंदराव एवं आहत रामकली के साथ मारपीट कर गोविंदराव को घोर उपहति एवं रामकली को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

- 6 गोविंदराव (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके हाथ पर लाठी मारी थी जिससे उसके बांये हाथ की छोटी अंगुली में चोट आकर हड्डी टूट गयी थी। अभियुक्त ने उसकी पत्नी रामकली के साथ भी मारपीट की थी। रामकलीबाई (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने बल्लम से उसे मारपीट की थी जिससे उसके हाथ में चोट आयी और जब उसका पति गोविंदराव आया तो उसके साथ भी मारपीट की थी।
- उडाँ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.—7) ने दिनांक 07.02.2000 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गोविंदराव का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये हाथ के उपरी तरफ एक इंच गुणा एक चौथाई इंच आकार की सूजन पायी थी जिसके लिए उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी ने उक्त दिनांक को ही आहत रामकली का परीक्षण किये जाने पर आहत की दांहिनी अग्र भुजा पर तिरछी चोट डेढ़ गुणा आधा इंच मासपेशी गी गहराई तक एवं दांहिनी अग्र भुजा पर एक इंच लंबा फटा हुआ घाव, ठुड़डी के दांयी

तरफ करीब दो इंच लंबा घाव, गर्दन की दांहिनी तरफ रगड़ा तथा छाती के बांये तरफ सूजन पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 एवं प्रदर्श पी–7 को प्रमाणित किया है।

- 8 डॉ. आर.के. नाचनकर (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में डॉ. पी.के. तिवारी उनके साथ कार्यरत होने से उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि से परिचित होना प्रकट करते हुए व्यक्त किया है कि आहत गोविंदराव के बांये हाथ का एक्सरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलताई में किया गया था जिसका क. 8 है। एक्सरे रिपोर्ट में डॉक्टर पी.के. तिवारी द्वारा अनामिका अंगूली के प्राक्सिमल प्रो में फेक्चर दर्शाया गया है। डॉ. पी.के. तिवारी द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी—5) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।
- 9 विनोद कुमार (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14. 03.2000 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 43/2000 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—1) एवं दिनांक 03.04.2000 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साथ ही आहतगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी है एवं उनके कथनों में परस्पर विरोधाभास भी हैं। जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी नब्बाबाई (अ.सा.—4) एवं कमलेश (अ.सा.—5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी नब्बाबाई (अ.सा.—4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी कमलेश (अ.सा.—5) ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह मामा गोविंदराव के यहां था तभी अभियुक्त ओमप्रकाश ने हाथ मुक्के और लकड़ी से मारपीट की थी परंतु तत्पश्चात साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके मामा के हाथ में चोट आयी थी और अभियुक्त ने रामकली के साथ में मारपीट की थी तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह ग्राम तोरणवाड़ा में रहता है और उसकी बुआ बोरदेही में रहती है। घटना दिनांक को वह ग्राम तोरणवाड़ा में ही था घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- 12 अभिलेख पर फरियादी/आहत गोविंदराव एवं आहत रामकली की साक्ष्य उपलब्ध है तथा उपर्युक्त साक्षी पति—पत्नी हैं। बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि उपर्युक्त साक्षी हितबद्ध है इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त साक्षी आहतगण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनिसंह उर्फ हरभजनिसंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की सूक्ष्म साक्ष्य विवेचना से यह देखा जाना है कि उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?
- 13 गोविंदराव (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 08:30 बजे की है। उसका खाने का निमंत्रण था। वह निमंत्रण में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अभियुक्त आया और दरवाजे में लात मारकर दरवाजा तोड़कर घर में घुस आया और कॉलर पकड़कर बाहर निकाला। अभियुक्त ने उसकी पत्नी को भी बाहर निकाल लिया। अभियुक्त ने उसके हाथ पर लाठी मारी जिससे उसके पेट में दर्द उठने लगा और हाथ से खून निकलने लगा। मारपीट से उसके बांये हाथ की छोटी अंगुली के बगल वाली अंगुली टूट गयी थी। अभियुक्त ने उसकी पत्नी रामकली के साथ भी मारपीट की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी।
- 14 रामकलीबाई (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम के लगभग 7—8 बजे की है। वह उसके पित, उसके भाई के यहां निमंत्रण में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वह बाहर से दरवाजा बंद करने लगी तभी दरवाजे पर अभियुक्त ने लात मारी। बल्लम लेकर घर के अंदर आ गया। उसके साथ मारपीट की जिससे उसके हाथ में चोट आयी। उसके पित गोविंदराव जो कि घर से निकल गये थे आवाज सुनकर जब घर की तरफ लौटकर आये तो उन्हें भी अभियुक्त ने मारपीट की।
- 15 गोविंदराव (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त और उसका मकान दूर—दूर है। अभियुक्त राजकुमार ने उसकी पत्नी को चाकू से मारा था। जब उसके साथ मारपीट हुई तब बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आया था। जिस मकान को उसने खरीदा है वह मकान अभियुक्त भी खरीदना चाहते थे। अभियुक्त ने उसे लात मुक्कों से नहीं मारा था। अभियुक्त ने उसे लठ से मारा था। स्वतः कहा कि लकड़ी से कोई मारपीट नहीं की थी। अभियुक्त का वह नाम पहले से नहीं जानता था लेकिन रिपोर्ट लिखाते समय नाम बता दिया था। अभियुक्त ने मारपीट घर के आंगन में की थी रोड पर नहीं की थी। रामकली (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि

ऐसा नहीं हुआ था कि अभियुक्त ने उसके घर के सामने खड़े होकर गाली दी हो। स्वतः कहा कि एकदम से मारपीट शुरू कर दी थी। उसके पित गोविंदराव घर से निकल चुके थे इसलिए अभियुक्त को गाली देने से मना नहीं किया। न ही अभियुक्त ने ऐसा बोला कि तुम्हारा लड़का बदमाश है उसे समझाओ। अभियुक्त ने लकड़ी से मारपीट नहीं किया था। स्वतः में कहा कि बल्लम से मारा था। झगड़ा घर के पास दरवाजे के अंदर हुआ था।

अभियोजन कथा अनुसार फरियादी गोविंदराव आवाज सुनकर घर तरफ आया। अभियुक्त घर के सामने खड़ा होकर गाली दे रहा था। अभियुक्त को गाली देने से मना किया तब अभियुक्त ने लकड़ी से मारपीट किया और जब बचाने के लिए उसकी पत्नी रामकली आयी तो उसे भी मारा जिससे उसके हाथ में चोट आयी। जबकि अपने परीक्षण में साक्षी गोविंदराव ने अभियोजन कथा से हटकर यह कथन किये हैं कि अभियुक्त दरवाजे को तोड़कर उसके घर के अंदर घुस गया था। उसे कॉलर पकड़कर बाहर लाया। उसके साथ मारपीट की। जब पत्नी बचाने के लिए आयी तो उसे भी मारा। अभियुक्त ने बल्लम से मारपीट की। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मारपीट घर के आंगन में हुई थी। अभियुक्त राजकुमार ने उसकी पत्नी को चाकू से मारा था। साक्षी रामकली (अ.सा.–2) ने यह बताया है कि वह घटना के समय घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रही थी। उसकी पति गोविंदराव घर से निकलकर थोड़ी दूर जा चुके थे। अभियुक्त ने दरवाजे पर लात मारी और घर के अंदर आ गया और उसके साथ मारपीट की। आवाज सुनकर जब उसके पति आये तब उसे भी अभियुक्त ने मारा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त ने घर के सामने खड़े होकर कुछ नहीं कहा था। एकदम से मारपीट शुरू कर दी थी। अभियुक्त ने बल्लम से मारा था। झगड़ा दरवाजे के अंदर हुआ था।

17 साक्षी रामकली (अ.सा.—2) एवं गोविंदराव (अ.सा.—1) दोनों के ही कथनों में पर्याप्त विरोधाभास हैं। घटना स्थान के संबंध में साक्षी गोविंदराव ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त घर के अंदर आया, उसके बाद घसीटकर बाहर मारपीट की। जबिक प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना आंगन में हुई। रामकली ने बताया है कि घटना घर के दरवाजे पर हुई। घटना के प्रारंभन के बारे में भी उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। साक्षी गोविंदराव ने कहा कि पहले अभियुक्त ने उसे मारा, जब रामकली बचाने के लिए आयी तब अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की। जबिक साक्षी रामकली ने यह बताया है कि अभियुक्त ने पहले उसके साथ मारपीट की। उसके पति आवाज सुनकर जब आये तो अभियुक्त ने उनके साथ भी मारपीट की। अभियुक्त ने बल्लम से मारपीट की। गोविंदराव ने बताया है कि अभियुक्त राजकुमार ने उसकी पत्नी को चाकू से मारा था। साक्षी गोविंदराव को मात्र बांयी हाथ की अंगुली में अस्थिभंग था तथा आहत रामकलीबाई के चिकित्सकीय परीक्षण में दांहिने अग्र भुजा पर फटा घाव, दुड्डी पर चोट, गर्दन के दांहिनी तरफ रगड़ा, छाती पर सूजन पायी गयी थी। जबिक गोविंदराव ने यह बताया है कि उसकी पत्नी को केवल हाथ में चोट आयी थी। स्वयं रामकली ने भी यह बताया है कि उस हाथ में चोट आयी थी। इस प्रकार साक्षीगण के

कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी अशतः समर्थित हैं। आहत रामकली को शरीर के अन्य जगह पर कैसे चोटें आयी इस बारे में भी स्वयं रामकली एवं गोविंदरा ने कुछ नहीं बताया है। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी गोविंदराव (अ.सा.—1) ने एक नई कहानी अपने मुख्य परीक्षण में बतायी है। दोनों ही साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। साथ ही स्पष्ट रूप से उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ओमप्रकाश ने ही उनके साथ मारपीट की। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी गोविंदराव को लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं रामकली को मारपीट कर स्वेच्छया सामान्य उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त ओमप्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)